कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांक–1962/FP/UK/MIN/20542/2016:देहरादून:दिनांक: 08 फरवरी, 2017.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय–एफ0आर0आई0, देहरादून।

विषयः– जनपद–देहरादून में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा झाझरा रेंज, वन प्रभाग, देहरादून स्वारना नदी के 23.75 हे0 वन भूमि क्षेत्र से उप खनिज चुगान हेतु वन विकास निगम को 10 वर्षों की अवधि के लिये अनुमति प्रदान किया जाना।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू.सी.पी./05/166/2016/1320 दिनॉक 18–11–2016.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयॉकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों की प्रभागीय वनाधिकारी के पत्रांक 1312/24–2(1) दिनांक 06–01–2017 एवं 1424/24–2(1) दिनांक 20–01–2017 **(संलग्नक–1)** एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के पत्रांक 1559/स्वारना नदी दिनांक 26–12–2016 **(संलग्नक–2)** एवं पत्रांक 1751/स्वारना नदी दिनांक 17–01–2017 **(संलग्नक–3)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गयी अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है :–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 47.50 हे0 सौडा ब्लॉक में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रू0 1,09,39,345.00 (रू0 एक करोड़ नौ लाख उन्तालीस हजार तीन सौ पैंतालीस) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी गई है। **(संलग्नक–1.i)**
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन क्षेत्र से पत्थर/सिल्ट एकत्र करने हेतु मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 09–05–2008 से छूट प्रदान की गई है। अतः एन0पी0वी0 मद में आंगणित धनराशि को जमा नहीं किया जाना है। **(संलग्नक–1.ii)**
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया गया है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है, तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुयी धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में यथासमय कर दिया जायेगा। **(संलग्नक–2.i)**
4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार देय धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिए गये डिमाण्ड नोट के आधार पर कैम्पा कोष में ऑन लाईन जमा कर दी गयी है। **(संलग्नक–1.ii)**
5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु देय धनराशि वन विभाग के पक्ष में यथासमय जमा कर दिये जाने की वचनबद्धता संलग्न है। **(संलग्नक–2)**

अतः अनुरोध है कि विषयॉंकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या :– /FP/UK/MIN/20542/2016 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, वन विकास निगम, उत्तराखण्ड।
2. जिलाधिकारी, जनपद–देहरादून।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
4. प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, (खनन) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, 15/15ए कालीदास रोड़, देहरादून।

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संलग्नक-1

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक 312 /24-2017 देहरादून, दिनांक 06 जनवरी, 2017

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं,
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्द्रिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद देहरादून में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा झाजरा रेंज, के अन्तर्गत स्वारना नदी से उपखनिज चुगान हेतु 23.75 है0 वन विकास निगम को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–1505/FP/UK/MIN/20542/2016 दिनॉक–01.12.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय संदर्भित पत्र के कम में प्रयोक्ता एजेन्सी उत्तराखण्ड वन विकास द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–1559/स्वारना नदी दिनॉक–26.12.2016 से क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार देहरादून के पत्रांक–08बी /यू0 सी0 पी0/05/166/2016/1320 दिनांक–18.10.2016 से प्रत्यावर्तन की सैद्वान्तिक स्वीकृति में दी गई शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रस्तुत की है।

शर्त संख्या–1–प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले प्रभाग की थानों रेंज के अन्तर्गत सौड़ा ब्लाक में 47.50 है प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 1,09,39,345 की धनराशि निर्देशित खाते में जमा कर दी गई है।

शर्त संख्या–2–वन क्षेत्र से पत्थर/सिल्ट को एकत्र करने हेतु मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनॉक– 09.05.2008 से छूट प्रदान की गई है। अतः एन0पी0बी0 मद में आंगणित धनराशि को जमा नहीं किया जाना है।

शर्त संख्या–3–भारत सरकार द्वारा वर्तमान मूल्य दरों में बढोतरी किये जाने की दशा में प्रयोकता एजेन्सी द्वारा अवशेष धनराशि जमा करने हेतु वचनबद्वता दी है।

शर्त संख्या–4–प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त के अतिरिक्त सेफ्टी जोन एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान हेतु मु0–16,72,000 (मु0–सोलह लाख बहत्तर हजार मात्र) तथा इस क्षेत्र की सुरक्षा हेतु मु0–81,27,050(मु0–इक्कासी लाख सत्ताईस हजार पचास मात्र) की धनराशि जोड़ते हुए कुल रू0–2,07,38,395 (मु0–दो करोड़ सात लाख अठतीस हजार तीन सौ पिचान्बे मात्र) की धनराशि RTGS के माध्यम दिनॉक–23.12.2016 को कैम्पा में जमा निधि में जमा करायी जा चुकी है।

शर्त संख्या–5–प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनवद्वता दी है कि परियोजना के आस–पास रिक्त पड़े खाली स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रसन्न कुमार पात्रो)
प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रॉक– / दिनॉकित।

प्रतिलिपि– प्रबन्ध निदेशक महोदय उत्तराखण्ड वन विकास निगम देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–13 के अनुपालन हेतु आवश्यक धनराशि का भुगतान करने की कृपा करें।

(प्रसन्न कुमार पात्रो)
प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रॉक– / दिनॉकित।

प्रतिलिपि– उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– वन क्षेत्राधिकारी झाझरा को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रसन्न कुमार पात्रो)

संलग्न (1-i)

12/19/2016

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 19-12-2016

Agency Name.	UTTARAKHAND FOREST DEVELOPMENT CORPORATION (UAFDC)
Application No.	MIN205422016081
State Code.	UK
Address.	15/15 Kalidas Road Dhobalwala DehradunDehradun
Amount(in Rs)	20738395/-

Amount in Words :Two Crore Seven Lakh Thirty-Eight Thousand Three Hundred and Ninety-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARAKHAND CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUKMIN205422016081
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0534498

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 19-12-2016

Agency Name.	UTTARAKHAND FOREST DEVELOPMENT CORPORATION (UAFDC)
Application No.	MIN205422016081
State Code.	UK
Address:	15/15 Kalidas Road Dhobalwala Dehradun Dehradun
Amount(in Rs)	20738395/-

Amount in Words :Two Crore Seven Lakh Thirty-Eight Thousand Three Hundred and Ninety-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARAKHAND CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUKMIN205422016081
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0534498

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: ubicampa@unionbankofindia.com

UTR — NUMBR52016122313456696

(संलग्नक-1.ii)

[CEN]TRAL EMPOWERED COMMITTEE

CONSTITUTED BY THE HON'BEL SUPREME COURT OF INDIA
IN WRIT PETITION (CIVIL) No. 202/95 & 171/96)

... Floor Chanakya Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi 110021, Tel. 26884921, 26884923, 241019...

File No. 1-19/CEC/SC/2006-Pt

Dated 5[th] June, 2008

To

(i) The Chief Secretary
(All States / Union Territories)

(ii) The Principal Chief Conservator of Forests
(All States / Union Territories)

Sub: Hon'be Supreme Court's orders dated 28.3.2008 and order dated 9.5.2008 in IA No. 826 in 566 and related IA's regarding the rate of the Net Present Value (NPV) of forest land.

Sir,

I am sending herewith copies of the Ho'nble Supreme Court's orders dated 28.3.2008 and 9.5.2008 in IA Nos. 826 in 566 with related IA's in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 regarding the rate of the NPV payable for the use of the forest land for non forestry purposes and related issues. It is requested that the Hon'ble Court's orders may please be brought to the notice of all concerned for strict compliance.

Yours faithfully,

(M.K.Jivrajka)
Member Secretary

प्रति प्रबंध निदेशक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
देहरादून को सूचनार्थ
आवश्यक कार्यवाही
प्रेषित।

25/6/08

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड
25/6/2008

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CIVIL ORIGINAL JURISDICTION

I.A. Nos. 826 IN 566 WITH 955 IN 566, 958, 985, 1001-1001A, 1013-14 1016-1018, 1019, 1046, 1047, 1135-1136, 1164, 1180-1181, 1182-1183, 1196, 1208-1209, 1222-1223, 1224-1225, 1229, 1233 IN 1135-1136, 1248-1249, 1253, 1301-1302, 1303-1304, 1312, 1313, 1314, 1318, 1319 IN 1137, 1325, 1364, 1365-1366, 1370-1370A,1371, 1384, 1385-1386, 1387, 1434, 1435-1437, 1438, 1441 WITH 1634, 1475-1476, 1513, 1573, 1639 IN 1135-1136 IN IA 566, 1664, 1665, 1671, 1676, 1707, 1721, 1779 IN 1164 IN 566, 1785-1786 IN I.A. NO. 1441, 1980-1981, 1993, 2013, 2074-2076 2077-2078 IN 1441 & 2098 IN 1233 IN 1135-1136, 2145-2146, 2147-2148, 2149-2150 & 2153-2154 IN I.A. 566 IN W.P.(C) NO. 202/1995

T.N. Godavarman Thirumulpad ...Petitioners

Versus

Union of India & Ors. ...Respondents

ORDER

On 28th March, 2008, we had passed an order regarding payment of Net Present Value (NPV) accepting the recommendations made by CEC which were more or less acceptable to MoEF. In that order we had also indicated that exemptions from payment of NPV have to be granted in respect of certain categories. However it is brought to our notice that certain typographical mistakes had crept in that order as to categories to which such exemptions are to be granted. Therefore, we direct that as regards exemptions from

payment of NPV, the last part of that order reading *"We are of the view ..... (x) construction of the transmission lines"* on pages 10 to 11 shall stand substituted with the following :-

Category	CEC
i) Schools ii) Hospitals iii) Children's play ground of non commercial nature iv) Community centres in rural areas v) Over-head tanks vi) Village tanks, vii) Laying of underground drinking water pipeline upto 4 diameter and viii) Electricity distribution line upto 22 KV in rural areas.	Full exemption upto 1 ha. of forest land provided : (a) no felling of trees is involved; (b) alternate forest land is not available; (c) the project is of non-commercial nature and is part of the Plan/Non-Plan Scheme of Government; and (d) the area is outside National Park/Sanctuary
Relocation of villages from the National Parks/Sanctuary to alternate forest land	Full Exemption
Collection of boulders/silts from the river belts in the forest area	Full exemption provided:- (a) area is outside National Park/Sanctuary. (b) no mining lease is approved/signed in respect of this area

	(c) the works including the sale of boulders/silt are carried out departmentally or through Government undertaking or through the Economic Development Committee or Joint Forest Management Committee; (d) the activity is necessary for conservation and protection of forests; and (e) the sale proceeds are used for protection/conservation of forests
Laying of underground optical fibre cable	Full exemption provided : (a) no felling of trees is involved; and (b) areas falls outside National Park/Sanctuary
Pre-1980 regularisation of encroachments and conversion of forest villages into revenue villages	Full exemption provided these are strictly in accordance with MoEF's Guidelines dated 18.9.1990
Underground mining	50% of the NPV of the entire area

The above recommendations for exemptions are accepted. If in any case, exemption is required by nature of the peculiar circumstances of the case, the same would be decided as and when necessary on a case to case basis.

.....CJI
(K.G. BALAKRISHNAN)

.....
(DR. ARIJIT PASAYAT)

.....
(S.H. KAPADIA)

New Delhi;
May 9, 2008.